राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मार्गदर्शिका/2019 /कार्यस्थल/01734 15706 जयपुर दिनांक 6 MAY 2024

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर सुविधाओं के संबंध में।
प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 07.03.2019, 04.06.2019, 27.05.2020, 28.05.2020, 21.04.2022 एवं 23.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के कम में लेख है कि महात्मा गांधी अधिनियम 2005 (अनुसूची–।। के पैरा 22 से 24) में दिये गये प्रावधानानुसार प्रत्येक कार्यस्थल पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व कार्यकारी ऐजेन्सी का है। प्रासंगिक पत्रों द्वारा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर सुविधाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस कम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुविधा हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

1. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 क पैरा 19 के अनुसार 8 घंटे की अवधि मय 1 घंटे का विश्रामकाल निर्धारित है। इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि **"यदि कोई श्रमिक/श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त कार्यस्थल छोड सकता है। अर्थात यदि किसी श्रमिक के द्वारा निर्धारित टास्क 5 घंटे की कार्य अवधि में पूर्ण कर लिया जाता है तो अनावश्यक रूप से कार्यस्थल पर न रोका जावे।"**
2. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था एवं पंचायत में भामाशाह के माध्यम से छाछ, कैरी की छाछ, नींबू पानी एवं शरबत आदि की व्यवस्था कराने के प्रयास किये जावें।
3. कार्यस्थल पर विश्राम हेतु शैड की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।
4. कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार बॉक्स में इलेक्ट्राल/ग्लूकोस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
5. कार्यस्थल पर 5 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे महिला सहित आते हो तो एक महिला मजदूर उन बच्चों की देखभाल हेतु लगाई जायेगी।

इस कम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम में दिये गये प्रावधानानुसार कार्यस्थलों पर समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) ईजीएस।
5. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
7. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
8. कार्यकम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

Scanned with CamScanner